रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-73

REGISTERED No. D-(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

Central Secretariat Library 3 JUL 1974 of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 280] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 25, 1974/आषाढ़ 4, 1896

No. 280] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 25, 1974/ASADHA 4, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi the 25th June 1974

S.O. 387(E).—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, to wit, the communal disturbances that occurred in the area falling within the jurisdiction of the Sadar Bazar Police Station, Delhi, on the 5th day of May, 1974.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri R. Prasad, formerly Secretary to the Government of India, as one-man Commission of Inquiry.

(1) The terms of reference of the Commission shall be as follows:—

(a) to inquire into the causes and course of the disturbances which took place in the area falling within the jurisdiction of the Sadar Bazar Police Station, Delhi, and the areas adjoining it, on 5th May, 1974;

(b) to inquire into the adequacy of the administrative measures taken to prevent and to deal with the said disturbances;

(c) to recommend measures which may be adopted to prevent the recurrence of such disturbances in the special conditions of the Sadar Bazar locality; and

(d) to consider such other matters as may be found relevant in the course of the inquiry.

(ii) The Commission will be expected to complete its inquiry and submit its final report to the Central Government within four months from the date of this notification

2. And, whereas the Central Government is of opinion having regard to the nature of the inquiry to be made by the Commission and other circumstances of the case, that all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) should be made applicable to the Commission, the Central Government hereby directs, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), of the said section 5, that all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of that section shall apply to the Commission.

[No. II-14011/9/74-NID(B)]

B. R. PATEL, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 1974

का० आ० 387 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामले में, अर्थात्-साम्प्रदायिक उपद्रव जो मई, 1974 के पांचवें दिन सदर बाजार पुलिस स्टेशन, दिल्ली की अधिकारिता वाले क्षेत्र में घटित हुए, जांच करने के प्रयोजनार्थ जांच कमीशन नियुक्त करना आवश्यक है ;

अतः जांच कमीशन अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, श्री आर० प्रसाद, भारत सरकार, के पूर्वतर सचिव को एकल व्यक्ति जांच कमीशन एतद्द्वारा नियुक्त करती है।

(i) कमीशन के निदेश की शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(क) उपद्रवों के, जो 5 मई, 1974 को सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली की अधिकारिता वाले क्षेत्र में और उससे लगे हुए क्षेत्रों में हुए, कारण और अनुक्रम की जांच करना;

(ख) उक्त उपद्रवों का सव्यवहार करने और निवारित करने के लिए गए प्रशासनिक उपायों की पर्याप्तता की जांच करना,

(ग) उन उपायों की सिफारिश करना जो सदर बाजार स्थल की विशेष दशाओं में ऐसे उपद्रवों के आवर्तन को निवारित करने के लिए अंगीकृत किए जाएं ;

(घ) ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जो जांच के अनुक्रम में सुसंगत हों।

(ii) कमीशन से इस अधिसूचना की तारीख से चार माह के भीतर अपनी जांच पूरी करने और केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजने की प्रत्याशा की जाएगी।

2. और यतः केन्द्रीय सरकार की, कमीशन के द्वारा की जाने वाली जांच के स्वरूप और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राय है कि जांच कमीशन अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध कमीशन को लागू किए जाएं, अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देती है कि उस धारा की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के समस्त उपबंध कमीशन को लागू होंगे।

[सं० II-14011/9/74-एस०आई०डी० (बी०)]

बी० आर० पटेल, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974